

प्रेषक

सेवा में

अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग।

क्षेत्रीय अधिकारी,
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ़।

यादी क्रमांक 1659-व-3-2023/4022
चण्डीगढ़ दिनांक 13/06/2023

विषय:-

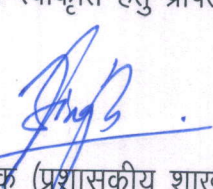
Diversion of 0.892 ha of forest land in favour of Siwani Water Services Division Bhiwani for deforestation from RD 0 to 10000. RD 11500-15000 & RD 16500-19000 on Bidola minor in the work of remodeling of Bidola Minor from RD 0-24600 having Chronic Tails to Feed in District Bhiwani, Haryana.

(Online Proposal No.FP/HR/IRRIG/152751/2022).

उपरोक्त विषय पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक हरियाणा पंचकूला ने मुख्य वन संरक्षक, पश्चिमी परिमण्डल, हिसार द्वारा **Executive Engineer Siwani Water Services Division Bhiwani** का कथित प्रस्ताव को वन संरक्षण अधिनियम 1980 में दिये प्रावधान के अनुसार सरकार को स्वीकृति हेतु भिजवाया है। इस प्रस्ताव में 0.892 है० वन भूमि प्रभावित होगी, जिसमें 684 वृक्ष (वालयूम 376.74 एम3) बाधक हैं, जो कटवाये जायेंगे। यह स्थल किसी भी प्रतिबंधित वन्य प्राणी क्षेत्र में नहीं आता है। इस प्रस्ताव में वन संरक्षक अधिनियम 1980 की उल्लंघना नहीं की गई है। इस प्रस्ताव में प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार राशि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त होने पर प्रयोक्ता एजेंसी से कैम्पा के लेखा में निम्न प्रकार से जमा करवाई जायेगी।

क्र०सं०	विवरण	राशि
1.	प्रतिपूर्ति पौधारोपण चार्जिज	5430960
2	Barbed Wire Fencing Charges	10944000
3	Supervisory Charges	543096
4	नैट प्रैजेंट वैल्यू आफ फोरेस्ट लैण्ड	854340
5	Felling charges	527436
6	मृदा एवं नमी संरक्षण चार्ज	1629288
	Total	19929120

इस केस में प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि से Nigana canal RD 0-44 L&R side पर 6840 पौधे लगवाए जायेंगे। प्रधान मुख्य वन संरक्षक हरियाणा के अनुरोध अनुसार इस प्रस्ताव में वन संरक्षक अधिनियम 1980 की उल्लंघना नहीं की गई है तथा इस प्रस्ताव में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत आवश्यक स्वीकृति प्रदान की जानी है। इसके उपरान्त इस प्रस्ताव को संतुष्टि उपरान्त सरकार को ऑनलाईन पोर्टल (<https://parivesh.nic.in>) के माध्यम से भारत सरकार से स्वीकृति हेतु प्रेषित है।


अधीक्षक (प्रशासकीय शाखा)
कृते: अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग।

Full Title of the Project : Diversion of 0.892 ha of forest land in favor of Siwani Water Services Division Bhiwani for deforestation from RD 0 to 10000, RD 11500-15000 & RD 16500-19000 on Bidola Minor in the work of Remodeling of Bidola Minor from RD 0-24600 having Chronic Tails to feed in District Bhiwani, Under Forest Division and District Bhiwani, Haryana.

Online Proposal No. FP/HR/IRRIG/152751/2022

PART-V

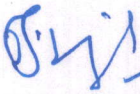
(to be filled in by the Secretary incharge of Forest Department or by any other authorized officer of the State Govt. not below the rank of an Under Secretary)

18.	Recommendation of the State Government (Adverse comments made by any officer or authority in Part-II or Part-III or Part-IV above should be specifically commented upon)	Recommended for approval.
-----	--	----------------------------------

Date : 12-06-23

Place : Chandigarh

Signature


12/06/23

Name: **Dr. T.P Singh,**
Secretary to Govt. of Haryana,
Forest & Wildlife Department

Office Seal: